



2026:AHC-LKO:381-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय  
लखनऊ**

**विशेष अपील दोषपूर्ण संख्या - 507 सन 2025**

संजीवनी नर्सिंग कॉलेज प्रतापगढ़ द्वारा प्रबंधक शांति लाल राम यादव (डॉ.  
एस.आर. यादव)

..... अपीलकर्ता(ओं)

**बनाम**

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य  
एवं परिवार कल्याण विभाग, लखनऊ एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

|                           |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| अपीलकर्ता(ओं) के अधिवक्ता | : शरद नंदन ओझा, आदेश कुमार यादव, अखंड प्रताप सिंह                      |
| प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता | : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, ज्ञानेंद्र कुमार श्रीवास्तव, राजीव श्रीवास्तव |

**न्यायालय संख्या - 1**

**माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय  
माननीय न्यायमूर्ति अब्देश कुमार चौधरी**

**सी.एम. आवेदन संख्या 1 / 2025**

1. अपील को दाखिल करने में केवल पाँच दिनों का विलंब हुआ है।
2. प्रतिवादियों के अधिवक्ताओं को विलंब माफ करने पर कोई आपत्ति नहीं है।

**अस्वीकरण:**

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

3. हम भी दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट हैं, इसलिए हम अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हैं।
4. अपील को नियमित क्रमांक आवंटित किया जाए।
5. आवेदन को तदनुसार, अनुमति दी जाती है।

### जापन पर आदेश

1. दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेखों का अवलोकन करने के पश्चात यह पता चलता है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता, जो नर्सिंग पाठ्यक्रम चलाने के लिए मान्यता चाहता था, ने प्रतिवादी संख्या 2 और उसके प्रतिनिधियों द्वारा इंगित कमियों को चुनौती देने के लिए रिट याचिका संख्या 1997/2025 दायर की थी। बहस के दौरान, इस संबंध में प्रार्थना संख्या 1 पर जोर नहीं दिया गया, जबकि प्रार्थना संख्या 2 पर जोर दिया गया, जो दिनांक 03.02.2025 के आवेदन पर विचार करने से संबंधित थी।
2. दिनांक 03.02.2025 के उक्त अभ्यावेदन में, इंगित कमियों को चुनौती दी गई थी और उपरोक्त पाठ्यक्रम के लिए मान्यता प्रदान करने पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। दिनांक 02.05.2025 के आदेश द्वारा इसे अस्वीकार कर दिया गया था। इस आदेश को रिट याचिका संख्या 9841/2025 के माध्यम से चुनौती दी गई थी।
3. अपीलकर्ता के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता ने आक्षेपित आदेश को गुण-दोष के आधार पर चुनौती दी थी, अर्थात् इस आधार पर कि तीसरे निरीक्षण के आधार पर बताई गई कमियाँ तथ्यात्मक रूप से गलत थीं और दुर्भावना से प्रेरित थीं। हालाँकि, उक्त दलील पर विचार करने के बजाय, रिट न्यायालय ने इसे इस आधार पर खारिज कर दिया कि तीसरा निरीक्षण हो चुका था और नए शुल्क जमा किए बिना चौथे निरीक्षण का कोई प्रावधान नहीं था, जो कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता का रिट न्यायालय के समक्ष मामला नहीं था।

### अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. हम अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के तर्क में दम पाते हैं। रिट न्यायालय ने रिट याचिका में उठाई गई दलीलों पर विचार नहीं किया है। रिट याचिका में अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता द्वारा चौथा निरीक्षण कराने के लिए कोई प्रार्थना नहीं की गई थी, बल्कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता 21.08.2024 को आयोजित तीसरे निरीक्षण के आधार पर संबंधित प्रतिवादी द्वारा इंगित कमियों को चुनौती दे रहा था।

5. श्री ज्ञानेंद्र श्रीवास्तव के इस तर्क के संबंध में कि पहली याचिका में कमियों को चुनौती देने वाली प्रार्थना पर जोर नहीं दिया गया था, इसलिए दूसरी याचिका में यह दलील स्वीकार्य नहीं थी, यह तर्क गलत है क्योंकि पहली याचिका में पहली प्रार्थना पर जोर न देते हुए दूसरी प्रार्थना पर जोर दिया गया था और दूसरी प्रार्थना, जो कि अभ्यावेदन के निस्तारण के लिए थी, में मूल रूप से इंगित की गई कमियों को चुनौती दी गई थी। इसलिए, इसका मतलब यह था कि रिट न्यायालय को कमियों को गुण-दोष के आधार पर देखने की आवश्यकता नहीं थी, बल्कि अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर प्रतिवादियों को स्वयं उन्हें देखना था। अतः, यह तर्क अस्वीकृत है।

6. तदनुसार, हम आक्षेपित आदेश को **अपास्त** करते हैं। फलस्वरूप, रिट याचिका संख्या 9841/2025 को उसके मूल क्रमांक पर बहाल कर दिया जाएगा और अब उपरोक्त टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए इस पर विचार किया जाएगा तथा अपीलकर्ता-याचिकाकर्ता और संबंधित प्रतिवादियों द्वारा उठाए गए तर्कों पर विचार करने के बाद निर्णय लिया जाएगा।

7. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने रिट याचिका में शामिल मुद्दों के गुण-दोष पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया है, बल्कि अपील को केवल इस आधार पर **अनुमति** दी है कि संबंधित तर्कों पर विचार नहीं किया गया था।

जनवरी 6, 2026

एम.वी.एस/-

[ न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी ]

[ न्यायमूर्ति राजन रॉय ]

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।